

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर
// अधिसूचना //

नया रायपुर, दिनांक 22 सितंबर, 2014

क्रमांक एफ 1-1/2014/1/5 :: भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 20-25-56-पब-एक, दिनांक 8 जून, 1957 के साथ पढ़ी गई परकाम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इस्ट्रूमेंट्स एक्ट), 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन, यह घोषित करता है कि उक्त स्पष्टीकरण के अंतर्गत सार्वजनिक अवकाशों में पहले से शामिल सभी रविवारों के अतिरिक्त निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित दिन भी वर्ष 2015 के लिए सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक अवकाश के दिन होंगे :-

सार्वजनिक अवकाश (अनुसूची)

क्रमांक	अवकाश का नाम	घोषित अवकाश के दिवसों की संख्या	ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार तारीख	राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार तिथि (शक संवत्)	सप्ताह का दिन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	गणतंत्र दिवस	एक	26 जनवरी	माघ 6, 1936	सोमवार
2	महाशिवरात्रि	एक	17 फरवरी	माघ 28, 1936	मंगलवार
3	होली	एक	6 मार्च	फाल्गुन 15, 1936	शुक्रवार
4	बैंको की वार्षिक लेखाबंदी	एक	1 अप्रैल	चैत्र 11, 1937	बुधवार
5	महावीर जयंती	एक	2 अप्रैल	चैत्र 12, 1937	गुरुवार
6	बुद्ध पूर्णिमा	एक	4 मई	वैशाख 14, 1937	सोमवार
7	ईद-उल-फितर	एक	18 जुलाई	आषाढ़ 27, 1937	शनिवार
8	स्वतंत्रता दिवस	एक	15 अगस्त	श्रावण 24, 1937	शनिवार
9	कृष्ण जन्माष्टमी	एक	5 सितंबर	भाद्र 14, 1937	शनिवार
10	ईद-उल-जुहा	एक	25 सितंबर	आश्विन 3, 1937	शुक्रवार

1

11	गांधी जयंती	एक	2 अक्टूबर	आश्विन 10, 1937	शुक्रवार
12	दशहरा (विजयादशमी)	एक	22 अक्टूबर	आश्विन 30, 1937	गुरुवार
13	मोहर्रम	एक	24 अक्टूबर	कार्तिक 2, 1937	शनिवार
14	दीपावली	एक	11 नवंबर	कार्तिक 20, 1937	बुधवार
15	गुरूनानक जयंती	एक	25 नवम्बर	अग्रहायण 4, 1937	बुधवार
16	किसमस डे	एक	25 दिसंबर	पौष 4, 1937	शुक्रवार

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(के.आर.मिश्रा)

अपर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

 सामान्य प्रशासन विभाग

(2) निम्नलिखित अवकाश के दिन रविवार होने के कारण अलग से अवकाश घोषित नहीं किये गये हैं :-

1. ईद-ए-मिलाद 4 जनवरी पौष 14, 1936
(मिलाद-उन-नबी)

(3) ईद-ए-मिलाद (मिलाद-उन-नबी) वर्ष 2015 में दो बार पड़ेगा।